



2026:AHC:167598

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7875

वर्ष 2026

परीक्षा एवं 2 अन्य

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मैरी पंचा (शीब जोस), मो. कलीम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 360/2026 (पुलिस थाना देवबंद, जिला सहारनपुर) में आवेदकों की ओर से दायर की गई है। इसमें धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 324(5) और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत अग्रिम जमानत की मांग की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यह भी कहा गया है कि आवेदक महिलाएँ हैं और प्राथमिकी सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने दो गुटों के खिलाफ दर्ज कराई थी, जो कथित तौर पर आपस में लड़ रहे थे। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, दो गुट पत्थर फेंक रहे थे। सभी चोटें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



मामूली प्रकृति की हैं। घायल मंगल के अलावा, कथित घटना में किसी और को चोट नहीं आई। घायल मंगल की चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी चोटें मामूली थीं। प्राथमिकी में मौजूदा आवेदकों सहित 11 लोगों पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकों के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक जाँच और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जाँच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होंगे। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदकों को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जाँच में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, एजीए ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने और अभिलेख देखा।

6. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने (जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है) की संभावना, और न्याय से भागने की संभावना (जैसे देश छोड़कर भागना आदि) पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या गवाहों को प्रभावित करने या आरोपी के भागने की संभावना हो। सिर्फ़ इसलिए कि गिरफ़्तारी करना विधिक रूप से सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ़्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ़्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ़्तारी को



एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने वास्तव में जांच में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ़्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, प्रार्थना-पत्र देने वालों की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत के लिए मामला बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर इस मामले में शामिल आवेदकों - **परीक्षा, सलोनी और रिम्पी** - को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें देनी होंगी;

(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेंगे और जांच के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे;

(iii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी देने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, सरकारी अधिवक्ता/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता के पास यह अधिकार है कि वे संबंधित न्यायालय में आवेदकों को दी गई अग्रिम ज़मानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

11 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!